2

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

प्रार्थना पत्र सं. 358 / 2021 अन्तर्गत धारा 212 RT ACt

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ **बनाम** रमेश केडिया पुत्र गोविन्दराम, राकेश केडिया पुत्र गोविन्दराम व अन्य शेष जमाबन्दी अनुसार

आदेश दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.09.2021	यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढ ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुने जाने का निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढ को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात भूमि हाल खसरा नम्बर 1678/743 रकबा 0.57 है0 कुल किता 1 वाके ग्राम पिलानी को **किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बैय, बेचान या हस्तांतरण नही करे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड** की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। न्यायालय आवेदनकर्ता से यह अपेक्षा करता है कि वह विपरित पक्षकार को आदेश की प्रति सुपुर्दगी स्पीड पोस्ट (SPEED POST) द्वारा करें, तथा व्यादेश के आवेदन की प्रति के साथ प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र, वाद पत्र, व दस्तावेज जिन पर आवेदक भरोसा करता है इनकी प्रति भी भेजे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनाक 30/09/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ	
30/09/21	पत्रावली पेश हुई। सरकारी पैरोकार उपस्थित। सरकारी पैरोकार ने बताया कि राजस्व सेवा परिषद संघ द्वारा कार्य बहिस्कार होने के कारण व्यक्तिशः तामील करवाया जाना सम्भव नहीं हैं इसलिए तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा, पंचायत समिति नोटिस बोर्ड एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड तथा नगरपालिका नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामील पत्रावली किया गया । प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिए जाते है कि उक्त समस्त नोटिस बोर्डो पर नोटिस चस्पा किये जाये तथा चस्पानगी की रिपोर्ट तारीख पेशी में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली वास्ते तामील दिनांक 26/10/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ	

26/10/21	पत्रावली पेश हुई। सरकारी पैरोकार उपस्थित। सरकारी पैरोकार ने तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा, पंचायत समिति नोटिस बोर्ड एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड तथा नगरपालिका नोटिस बोर्ड पर तामील नोटिस चस्पानगी की रिपोर्ट पेश की जो शामील पत्रावली की गई। तामील पर्याप्त है परन्तु नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय में अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/11/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
12/11/21	पत्रावली पेश हुई। सरकारी पैरोकार ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें बताया की उनवानी प्रकरण संख्या 358/2021 एवं मु0न0 410/2021 राजस्थान सरकार बनाम उमेश केडिया दोनो प्रकरणों में प्रतिवादीगण तथा भूमि एक ही है। अतः दोनों पत्रावलियों को Consolidate करने के लिए निवेदन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मु0 संख्या 410/2021 को मु0 न0 358/2021 के साथ Consolidate किया जावे। प्रतिवादीगण को बार–बार आवाज लगवायी गई परन्तु प्रतिवादीगण अनुपस्थित। सांय 5 बजे दूबारा आवाज लगवायी गई परन्तु प्रतिवादीगण ना स्वयं उपस्थित हुए एव ना ही उनकी और से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ अतः प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी जाती है एवं जवाब बन्द किया जाता है। राजकीय पैरोकार की एक पक्षीये बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24.11.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
24/11/21	पत्रावली पेश हुई । मूल वाद में निर्णय किया जा चुका है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ